

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 11 / 1 / 2018

क्रमांक 80/1890/2015/स्था./चार :: राज्य शासन, एतद्वारा, श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, राज्य वित्त सेवा अधिकारी द्वारा पूर्व में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कृषि उपज मंडी समिति में दिनांक 04.04.1995 से 19.08.2004 तक की गई सेवा को वित्त निर्देश 31/2006 की कंडिका (3) में दिये गये स्पष्टीकरण के प्रावधानानुसार, अधीनस्थ लेखा सेवा/राज्य वित्त सेवा में पेंशन के लिए अर्हतादायी सेवा के रूप में जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(शारदा वर्मा)

संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 81/1890/2015/स्था./चार
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 11/01/2018

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
04. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
05. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
06. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
07. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन(मण्डी) बोर्ड, रायपुर
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर
09. संबंधित अधिकारी- श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा, कोषालय अधिकारी, गरियाबंद
10. आदेश फोल्डर

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

संयुक्त सचिव